न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2022	2022/029	31.01.2022	06.06.2022

उनवान प्रकरण

महावीर सिंह पुत्र श्योल सिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति यादव अहीर निवासी ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर, राज0।
3. लिसाड़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 ग्राम लिसाड़िया पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जरिये व्यवस्थापक औमप्रकाश यादव पुत्र जमनलाल, जाति अहीर निवासी ढ़ाणी चौलाई (फुटाला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 – प्रार्थी की ओर से

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 – अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 2 की ओर से

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1093 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1094 रकबा 0.0900 हैक्टर का प्रार्थी एंव उसके परिजन रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई संबंध या सरोकार किसी किस्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। प्रार्थी ने उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 20.01.2022 को करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक है। कृषि भूमि खसरा नंबर 1093 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1094 रकबा 0.0900 हैक्टर का अप्रार्थी संख्या 1 पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो आये दिन सीवं डोल नष्ट कर प्रार्थी व उसके परिजनों की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करता रहता है एंव मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसलिए इसको अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण प्रार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सं0 2 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 उपस्थित आयें। श्री जितेन्द्र कुमार गोड़ एड0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा लिसाड़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी नं. 3 बनाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थी ने सहमति देते हुए प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रार्थी एंव उसके परिजन के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का कोई संबध या सरोकार किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी व उसके परिजनों का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा सेंटलमेंट विभाग के द्वारा गलत दर्ज कर रखा होने तथा उनकी खातेदारी की जमीनों के खातेदारी अधिकार दीगर लोगों की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय में वादपत्र भी पेश कर रखा होना अवगत कराया गया। जिसकी पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा किया गया है। वही वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नंबर 1093 के पुराने खसरा नम्बर 842 व [illegible] खसरा नम्बर 844 से बने है। जिसमें से श्योलसिंह पुत्र केशरसिंह [illegible] 4 का विक्रय लिसाड़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम [illegible] के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.04.1982 के द्वारा क्रय किया गया है। श्रीमाधोपुर – अजीतगढ़ सड़क मार्ग की चौड़ी करने के कारण प्रार्थी का बचा हुआ रकबा सड़क के उत्तर दिशा की जमीन में होने से प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त भूमियों में से कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश किया गया है जो सीरे से ही खारिज किये जाने योग्य होने से खारीज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1093 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1094 रकबा 0.0900 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एंव उसके परिजन के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का लिसाड़िया के द्वारा दिनांक 20.01.2022 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होना स्वीकार किया है लेकिन मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा होना नहीं माना गया है। जहॉ तक प्रार्थी के पिता श्योलसिंह पुत्र केशरसिंह के द्वारा अपना हिस्सा 1/4 का विक्रय लिसाड़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम लिसाड़िया के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.04.1982 के द्वारा क्रय किये जाने के उपरान्त नामान्तकरण में अमल दरामद नहीं होना अवगत कराया गया है। जिसके लिए वे सक्षम न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहॉ अन्तर्गत धारा 135 (2) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। वकील अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के नाम कोई भूमि शेष नहीं होने बाबत कथन किया है वही वकील प्रार्थी ने सैटलमेंट विभाग द्वारा हुई गलती को दुरूस्त कराने बाबत स[illegible]य में वाद पत्र पेश किया जाना अवगत कराया गया है। जिसके [illegible] अनुतोष संबंधित न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। जहॉ तक सीमाज्ञान करने [illegible] नहीं करने का प्रश्न है। ऐसे मामलों में सीमाज्ञान के लिए प्रार्थी आवेदकगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

06/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

होना आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है लेकिन मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई भौतिक कब्जा काश्त होना प्रकट नहीं होता है। खातेदार के बिना किसी भौतिक कब्जे काश्त के किसी भी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी किया जाना सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल हो।

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)